निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 762) पटना, शुक्रवार, 9 अगस्त 2024

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई 2024

सं० 01/स्था0–आरोप–403/2020–561––श्री वेदव्रत कुमार, विशेष ईख पदाधिकारी, पटना तत्कालीन सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा पर वर्ष 2020 में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवा निवृत सहायक निदेशक, ईख विकास दरभंगा द्वारा उनके बकाया वेतनादि भुगतान करने हेतु सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के कार्यालय में पदस्थापित लिपिक, श्री संजीत कुमार सत्यकाम द्वारा श्री वेदव्रत कुमार के नाम पर पारितोषण/ रिश्वत् मॉगे जाने के गंभीर आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–1209 दिनांक–12.11.2020 से स्पष्टीकरण मॉगा गया। श्री कुमार ने पत्रांक–22 दिनांक–23.11.2020 से स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें आरोप को स्वीकार नहीं किया गया। अतएव् अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जॉच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया :– **आरोप सं0–1** श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के बकाये वेतनादि के भुगतान में ह्रास करने के उद्देश्य से जानबुझकर विलम्ब करना, **आरोप सं0–2** श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवा निवृत सहायक निदेशक, ईख विकास दरभंगा द्वारा लगाये गये रिश्वत मांगे जाने के आरोपों की सम्यक जांच नहीं करना, **आरोप सं0–3** लिपिक के विरूद्ध बिना जॉच प्रतिवेदन के अस्पष्ट प्रपत्र–क गठित करना, **आरोप सं0–4** विभाग को मिथ्या अभिकथन द्वारा गुमराह करने का प्रयास करना, **आरोप सं0–5** कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन के प्रति उदासिनता बरतना, **आरोप सं0–6** लोक सूचना पदाधिकारी कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासिनता बरतना एवं **आरोप सं0–7** विभागीय छवि को धूमिल करने आदि अरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–577 दिनांक–15.03.2021 द्वारा आरोप पत्र का गठन करते हुए विभागीय कार्यवाही का संकल्प निर्गत हुआ, जिसमें श्री ओंकार नाथ सिंह, संयुक्त निदेशक, ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग को जॉच प्राधिकार (संचालन पदाधिकारी) नियुक्त किया गया।

2. आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के द्वारा विभागीय पत्रांक–577 दिनांक–15.03.2020 एवं प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के आलोक में अपना बचाव बयान ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय पत्रांक–56 दिनांक–15.06.2021 द्वारा संयुक्त निदेशक, ईख विकास–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के समक्ष समर्पित किया गया था, जिसपर सम्यक विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त पत्र

सं0–गै0स0प्रे0सं0–74 दिनांक–16.08.2021 के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोप सं0–1 श्री कुमार के विरूद्ध बकाये वेतनादि के भुगतान में

जानबूझकर विलम्ब करने के आरोप के समीक्षा के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। **आरोप सं0–2** तत्कालीन कार्यालय लिपिक के विरूद्ध रिश्वत मांगे जाने के आरोप हेतु मामला साक्ष्य के आभाव में (यथा–आरोपकर्ता द्वारा मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं कराना) प्रमाणित नहीं बताया गया है। **आरोप सं0–3** लिपिक के विरुद्व बिना जॉच प्रतिवेदन के अस्पष्ट प्रपत्र–क गठित करना एवं **आरोप सं0–4** विभाग को मिथ्या अभिकथन द्वारा गुमराह करना प्रमाणित पाया गया। **आरोप सं0–5** कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासिनता बरतने के आरोप को प्रमाणित पाया गया है। **आरोप सं0–6** लोक सूचना पदाधिकारी कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासिनता बरतने के आरोप को भी प्रमाणित पाया गया है एवं **आरोप सं0–7** विभागीय छवि को धूमिल करने का आरोप भी प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी ने अपने जॉच पत्र के निष्कर्ष में प्रतिवेदित किया गया है कि '' श्री वेदव्रत कुमार अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन के प्रति लापरवाही बरतना विभागीय छवि को धूमिल करना लोक सूचना पदाधिकारी के दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासीनता बरतने संबंधी आरोप सम्पूर्ण घटना को देखते हुए प्रमाणित है।

3. संचालन पदाधिकारी के गै०स०प्रे०सं०–57 दिनांक–30.07.2021 के क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने अपने गै०स०प्रे०सं०–65 दिनांक–06.08.2021 के द्वारा अपेक्षित कागजातों को संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने संकल्प सं0–577 दिनांक–15.03.2021 को भी उक्त प्रतिवेदन में संलग्न किया गया है। इस तरह संकल्प सं0–577 दिनांक–15.03.2021 एवं उसके साथ संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोपों का प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने समर्थन किया।

4. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा विभागीय पत्रांक–1535 दिनांक–20.09.2021, स्मार पत्र 2091 दिनांक–24.12.2021, द्वितीय स्मार पत्र 445 दिनांक–03.03.2022 द्वारा मांग की गई। श्री कुमार द्वारा ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय पत्रांक–62 दिनांक–23.05.2022 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें गठित आरोपों को निराधार बताते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विचार किया गया, परन्तु पाया गया कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण में श्री कुमार ने लगभग उसी तरह का स्पष्टीकरण समर्पित किया जो पूर्व में श्री कुमार ने विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष बचाव अभिकथन समर्पित किया था एवं बचाव में कोई नया साक्ष्य एवं तथ्य समर्पित नहीं किया है। इसलिए द्वितीय कारण पृच्छा खारिज करने योग्य है। अतएव् सम्यक विचारोपरांत बचाव व्यान संतोषजनक नहीं पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार के विरुद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर संशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत आरोप वर्ष 2020 के लिए **(1) निन्दन एवं (2) दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से** दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. उक्त शासित दण्डों की प्रविष्टि इनके सेवा इतिहास में की जाय।

6. अधिसूचना सं0–1173 दिनांक–30.10.2023 से अधिरोपित दंडादेश के क्रम में श्री वेदव्रत कुमार ने बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम–28 के अंतर्गत पत्रांक–81 दिनांक–08.01.2024 से पुनरीक्षण/पुर्नविलोकन याचिका (Review Petition) हेतु दिनांक–08.01.2024 को प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष ज्ञापन समर्पित कर आरोप मुक्त करते हुए दंडादेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

7. बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम–28 निम्नवत् है :–

पुनरीक्षण, पुनरीक्षण प्राधिकार, पुनरीक्षण के समय–सीमा, पुनरीक्षण पर विचार की प्रक्रिया (नियम–28) **(1)** अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश के पुनरीक्षण पर विचार के लिए निम्नांकित प्राधिकार सक्षम है :–

(i) सरकार अथवा

(ii) सरकार के प्रत्यक्षतः अधीन कोई विभागाध्यक्ष (यदि सरकारी सेवक विभागाध्यक्ष के नियंत्राधीन हो) अथवा

(iii) अपील प्राधिकार, अथवा

(iv) सरकार के सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार।

(2) पुनरीक्षण के लिए समय सीमा छः माह है। उक्त प्राधिकारों में से कोई उक्त समय–सीमा के अन्दर स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण पर विचार हेतु अभिलेख मांग सकते है या अन्यथा (अर्थात पुनरीक्षण याचिका दाखिल होने पर) पुनरीक्षण पर विचार कर सकते है।

(3) उक्त प्राधिकार पुनरीक्षण पर विचारोपरांत निम्नानुसार आदेश दे सकते है :– (i) दंडादेश को संपुष्ट संशोधित या निरस्त (ii) अधिरोपित दंड को संपुष्ट या उसमें कमी/बढ़ोतरी कर सकते है या निरस्त कर सकते है। (iii) जहाँ कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया हो वहाँ दंड अधिरोपित कर सकते है। (iv) मामले की परिस्थिति के अनुसार समुचित निदेश देते

हुए आगे जाँच हेतु दंडादेश पारित करने वाले प्राधिकार को या अन्य प्राधिकार को मामला प्रेषित कर सकते है। (v) ऐसा आदेश पारित कर सकते है जैसा वह उचित समझें।

8. प्रस्तुत मामले में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत श्री वेदव्रत कुमार द्वारा बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–28 पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन याचिका को स्वीकृत करते हुए (i) निन्दन एवं दो वेतन वृद्वि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने हेतु जो दण्ड अधिसूचना सं0–1173 दिनांक–30.10.2023 से अधिरोपित किया गया था, उसको निरस्त करते हुए श्री वेदव्रत कुमार, विशेष ईख पदाधिकारी, पटना को भविष्य में सजग रहने के लिए चेतावनी की सजा का दण्ड अधिरोपित किया जाता है, जिसे श्री कुमार के सेवा इतिहास में इसकी प्रविष्टि की जायेगी।

9. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार,
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 762-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in